न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00299 (02/2012) 225 आरटीएक्ट

उग्रसैन पुत्र स्व0 दौलतराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. दौलतराम पुत्र भीयांराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। (फौत दिनांक 04.02.2019)
   1/1 विजय सिह } पुत्रगण स्व0 श्री दौलतराम जाति जाट निवासी तलवाड़ा
   1/2 विनोद कुमार } झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
   1/3 कौशल्या देवी पुत्री स्व0 श्री दौलतराम पत्नी श्री रायसिंह चाहर जाति जाट निवासी सहूवाला सैकिण्ड तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
   1/4 इन्द्र देवी पुत्री स्व0 दौलतराम पत्नी श्री नरेश गोदारा जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   1/5 कैलाश देवी पुत्री दौलतराम पत्नी श्री सुभाष गोदारा जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया हाल सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
   1/6 प्रोमिला देवी पुत्री स्व0 श्री दौलतराम पत्नी श्री राकेश चाहर जाति जाट (चाहर) निवासी सहूवाला सैकिण्ड हाल सैक्टर नं. 20 मकान नं. 204 सिरसा तहसील व जिला सिरसा। (हरियाणा)
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ।
3. जलप्रदाय योजना तलवाड़ा झील जरिये सहायक अभियन्ता टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अधिशाषी अभियन्ता जलदाय विभाग हनुमानगढ।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट्स

विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र. सं. 70/2011

श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः– 14.10.2019

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें उसका हक व हिस्सा है। प्रार्थी के दादा के भाई मोहकमराम को अपने हिस्सा की प. नं. 230/303 मु. नं. 94 की कृषि भूमि प्राप्त हुई थी मोहकमराम ने अपने हिस्सा जलदाय विभाग को दी थी लेकिन प्रार्थी के दादा मोहकमराम की संयुक्त कृषि भूमि होने के कारण मु. नं. 92 की भूमि जलदाय योजना के नाम गलत रूप से अंकित कर दी है जबकि प्रार्थी के दादा ने प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 में अंकित भूमि अपने जीवनकाल में कभी भी जलदाय योजना को लिखकर या सहमति नहीं दी। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर निर्माण करना चाहता है व उक्त भूमि पर जबरदस्ती दखलन्दाजी करने पर उतारू है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी संख्या 2 सहायक अभियन्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा जलयोजना को आवंटित की गई है जिसमें उसका हित निहित है। प्रा0 पत्र खारिज किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2011 प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में बखूबी साबित कर दिया है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का उचित रूप से परिशिलन नहीं किया है। यह भूमि जलप्रदाय योजना तलवाड़ा झील के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक सम्पति है खाता सं0 161 में प्रार्थी के दादा भीयाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को घरू बंटवारे में प्राप्त हुई है। मु0 नं0 92 की भूमि राजस्व रिकार्ड में जलप्रदाय योजना के नाम गलत रूप से दर्ज की गई है। जिसे कलमजन करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। जिस पर वह काश्त करता आ रहा है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि में जलप्रदाय योजना के लिए डिग्गीयां, क्वाटर इत्यादि बने हुए है जिसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को कतई नजरअंदाज किया। अपीलाण्ट की मौका पर फसल खड़ी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपील स्वीकार करने का कथन किया ।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर द्वारा चक 1 जीजीआर के प. नं. 230/302 मु. नं. 92 किला नं. 16/0. 253, 22/0.88, 23 ता 25 कुल 1.100 है. भूमि का आवंटन जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 06.01.2008 के द्वारा वाटरवर्क्स प्रयोजनार्थ किया गया था, जो राजस्व विभाग की घटना बही में दर्ज है। योजना हेतु वित्तिय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। यह योजना पूर्व में पूर्व शासन सचिव के पत्र दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.09 की अनुपालना में अबेयंस हो गई थी तथा पीपीसी की बैठक संख्या 182/02.02.2010 के द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी इस योजना का कार्य अति आवश्यक होने के कारण पुनः प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। पूर्व में कार्य आदेश नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। अपीलाण्ट ने जलदाय भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इस भूमि पर नये वाटर वर्क्स का निर्माण कर जनहित का कार्य किया जाना है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट का कथन है किप्रश्नगत भूमि उसकी पैतृक भूमि है जो उसके हक हिस्से में आई है जलदाय विभाग को गलत रूप से आवंटित कर दी गई है। लेकिन विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रश्नगत भूमि श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय द्वारा जलप्रदाय योजना के लिए आवंटित की गई है। जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि पर अपीलाण्ट का किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट यदि प्रश्नगत भूमि पर काबिज भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 के पक्ष में आवंटन आदेश पूर्व में ही इसी न्यायालय द्वारा अपील सं0 25/2012 दौलतराम बनाम सरकार आदि के द्वारा अपास्त किया जा चुका है। मूल आवंटन आदेश अपास्त हो जाने से अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। इस कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2011 अपास्त किये जाने योग्य है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2011 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2018 को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:36:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: